नगर परिषद् सरकाघाट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश— 175024 के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2022 से 31.03.2023

भाग—एक

1. प्रारम्भिक

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255 (1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्याः 1—376 / 81—फिन (एल0ए0) खण्ड—IV, दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखों के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत, नगर परिषद सरकाघाट, जिला मण्डी के लेखों का अंकेक्षण कार्य किया गया।

(ख) वर्तमान अंकेक्षण के दौरान निम्न पदाधिकारी प्रधान व कार्यकारी अधिकारी के पद पर कार्यरत रहेः—

(i) प्रधान

क्र0सं0	**नाम**	**तैनाती की अवधि**
1	श्री कश्मीर सिंह	01.04.2022 से 31.03.2023

(ii) कार्यकारी अधिकारी एवँ आहरण संवितरण अधिकारी

1	श्री राहुल जैन, भा• प्र• से• (अतिरिक्त कार्यभार)	01.04.2022 से 31.03.2023

(ग) गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार

नगर परिषद सरकाघाट, जिला मण्डी के लेखों अवधि 01.04.2022 से 31.03.2023 तक के अंकेक्षण में पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार निम्न प्रकार से हैः—

क्र. सं.	**गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार**	**पैरा सं.**	**राशि (₹ लाखों में)**
1	अनुदानों की राशि उपयोग हेतु शेष	6.2	785.30
2	दिनांक 1.4.2022 से पूर्व प्राप्त अनुदानों का कई वर्ष से अधिक अवधि के उपरान्त भी उपयोग करने में विफलता	6.3	585.57
3	गृहकर का बकाया वसूली हेतु शेष	10.1.1	63.03

4	दुकानों के बकाया किराये की राशि वसूली हेतु शेष	10.2.1	26.33
5	मोबाईल टावर स्थापना व नवीनीकरण शुल्क की राशि वसूली हेतु शेष	10.3	5.01
6	नगर परिषद् द्वारा निक्षेप कार्य हेतु दिनांक 31.03.2023 तक जारी अस्थाई अग्रिमों का समायोजन हेतु शेष पाया जाना	12.1	303.57
7	निर्माण कार्य बिलों से काटी गई रॉयल्टी की राशि को खनन विभाग के पास जमा न करवाना	15.2	1.63
8	संविदाकारों से निर्माण कार्य बिलों से काटी गई श्रम उपकर (Labour Cess) की राशि को श्रम अधिकारी मण्डी के पास जमा न करवाना	15.3	2.28
9	परिषद् के ट्रक पंजीकरण संख्या HP – 28 – 5082 द्वारा ईंधन खपत में पाई गई अनियमितताएँ – 50 लीटर की टंकी में 261 लीटर तेल भरना	16	––
10	नगर परिषद के तुलन–पत्र में चल–अचल सम्पत्तियों लेनदारियों/देनदारियों, अग्रिम राशियों इत्यादि को न दर्शाया जाना	19	––

(घ) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन

नगर परिषद् द्वारा गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई थी जबकि कार्यकारी अधिकारी से अंकेक्षण आरम्भ करने से पूर्व ही अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा॰ नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग–शिमला/2023/–116 दिनांकः 27/04/2023 द्वारा लम्बित पैरो की अनुपालना सुनिश्चित करवाने हेतु अनुरोध भी किया गया था। वर्तमान अंकेक्षण में बार–बार अनुरोध करने पर 04/1984 से लेकर 31/03/2022 तक के कुल 84 अनिर्णीत अनुच्छेदों/उप–अनुच्छेदों में से 37 पर अपेक्षित अनुपालना करके अंकेक्षण दल के पास सत्यापन करवाया गया। परन्तु अभी भी उपरोक्त अवधि के लिये 47 अनुच्छेद अनिर्णीत हैं। इनके साथ–साथ वर्तमान प्रतिवेदन में प्रारूपित अनुच्छेदों के निपटारे हेतु विशेष अभियान/कार्रवाई करनी सुनिश्चित करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए, ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण सम्भव हो सके। इस अंकेक्षण में निर्णीत किये गये गत प्रतिवेदनों के अनुच्छेदों पर की गई अनुपालना तथा शेष बचे अनिर्णीत अनुच्छेदों पर अपेक्षित कार्रवाई का संक्षिप्त विवरण **परिशिष्ट ''1''** पर दिया गया है।

भाग–दो

2. वर्तमान अंकेक्षण

नगर परिषद् सरकाघाट के लेखों अवधि 01.04.2022 से 31.03.2023 तक का अंकेक्षण श्री दिनेश चन्द्र लखनपाल, सहायक नियन्त्रक (लेखा परीक्षा) व श्री पुनीत कुमार, आर्टिकल सहायक द्वारा अवधि 07.06.2023 से 24.06.2023 तक परिषद कार्यालय में सम्पन्न किया गया। विस्तृत अंकेक्षण हेतु आय के लिए माह 07/2022 तथा व्यय के लिए माह 12/2022 के लेखों का चयन किया गया जिसके परिणामों को आगामी अनुच्छेदों में समाविष्ट किया गया है। अंकेक्षण के लिये आगामी अनुच्छेदों में दर्शाये गये अभिलेख के अतिरिक्त भी अन्य वांछित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया।

अस्वीकरण (Disclaimer): ''यहाँ यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद् द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उक्त संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गई किसी भी प्रकार की गलत/अधूरी सूचना अथवा सूचना जो उपलब्ध नहीं करवाई गई, के कारण अंकेक्षण प्रतिवेदन पर पड़ने वाले प्रभाव के लिए उत्तरदायी नहीं होगा तथा अंकेक्षण की जिम्मेवारी केवल चयनित माह तक ही सीमित है।''

3. अंकेक्षण शुल्क

नगर परिषद के लेखों अवधि 01.04.2022 से 31.03.2023 तक के अंकेक्षण का शुल्क संस्थापना व्यय के आधार पर ₹23000/– आंका गया है। सहायक नियन्त्रक की अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा• नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग–शिमला/2023/–165 दिनांकः 22/06/2023 द्वारा कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् सरकाघाट से अंकेक्षण शुल्क की राशि का भुगतान निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला–171009 को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट/मल्टीसिटी चैक के माध्यम से प्रेषित करने का आग्रह किया गया था। अँकेक्षण शुल्क की यह ₹23000/– की राशि कार्यकारी अधिकारी द्वारा अपने कार्यालय पत्र संख्या MC/SKT/Audit Fees/2023-1284 दिनांक 24.06.2023 द्वारा एच. डी. एफ. सी. बैंक सरकाघाट के मल्टीसिटी चैक संख्याः 000694 दिनाँक 24.06.2023 से निदेशक हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को प्रेषित कर दी गई है।

4. वित्तीय विवरणियाँ

नगर परिषद् अधिनियम–1994 के अन्तर्गत तथा नगर परिषद् के Accounts Manual के पैरा 27.4 के अनुसार नगर परिषद् द्वारा निम्नलिखित वित्तीय विवरणियाँ तैयार की जानी आवश्यक हैं। अंकेक्षण में निम्न वर्णित वित्तीय विवरणियाँ आवश्यक जाँच हेतु प्रस्तुत करने बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा॰ नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग–शिमला/2023/–116 दिनांकः 27/04/2023 द्वारा अनुरोध करने पर प्रत्युत्तर में प्रस्तुत की गई अथवा नहीं की गई वित्तीय विवरणियों का ब्यौरा निम्न प्रकार से हैः–

क्रम	वित्तीय विवरणी	प्रस्तुत की गई अथवा नहीं की गई
1	बैलेन्स शीट (Balance Sheet)	प्रस्तुत की गई
2	आय व्यय विवरणी (Income Expenditure Statement)	प्रस्तुत की गई
3	नकदी प्रवाह विवरणी (Cash Flow Statement)	प्रस्तुत नहीं की गई
4	प्राप्ति एवं भुगतान विवरणी (Receipt & Payment Accounts)	प्रस्तुत की गई
5	लेखों पर टिप्पणियाँ (Notes to Accounts)	प्रस्तुत नहीं की गई
6	वित्तीय प्रदर्शन सूचक (Financial Performance Indicator))	प्रस्तुत नहीं की गई

5. वित्तीय स्थिति

(5.1.1) मुख्य रोकड़ बही की वित्तीय स्थिति

कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा॰ नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग–शिमला/2023/–116 दिनांकः 27/04/2023 के सन्दर्भ में **परिशिष्ट "2"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार वर्तमान अंकेक्षणाधीन अवधि 01.04.2022 से 31.03.2023 तक की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार हैः–

शीर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	आय (₹)	ब्याज (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
			वित्त वर्ष 2022–23			
स्वःस्त्रोत	40951685	5648073	5020824	51620582	8606101	43014481
अनुदान	69969979	32614186	0	102584165	24054287	78529878
कुल	**110921664**	**38262259**	**5020824**	**154204747**	**32660388**	**121544359**

(5.1.2) दिनांक 31.03.2023 को नगर परिषद् के पास बैंक निवेश व बचत खातों में उपलब्ध निधि का विवरण

	विवरण		कुल राशि (₹)
परिषद द्वारा दिनांक 31.03.2023 को सावधि जमा में निवेशित राशि (विवरण **परिशिष्ट ''3''** में उपलब्ध):–			**43134536**
परिषद द्वारा दिनांक 31.03.2023 को बैंक बचत खातों में जमा राशि का विवरण निम्नानुसार (विस्तृत विवरण **परिशिष्ट ''4''** में उपलब्ध):–			
1	एच0डी0एफ0सी0 बैंक सरकाघाट 50100061087214	2193143	
2	एच0डी0एफ0सी0 बैंक सरकाघाट 50100061092310	477367	
3	एच0डी0एफ0सी0 बैंक सरकाघाट 50100061036786	13068853	
4	एच0डी0एफ0सी0 बैंक सरकाघाट 50100061025477	13721095	
5	एच0डी0एफ0सी0 बैंक सरकाघाट 50100061071777	18185023	
6	हि0प्र0रा0सह0 बैंक सरकाघाट 32310107754	720576	
7	हि0प्र0रा0सह0 बैंक सरकाघाट 32310101493	3965809	
8	हि0प्र0रा0सह0 बैंक सरकाघाट 32310102163	304851	
9	हि0प्र0रा0सह0 बैंक सरकाघाट 32310107866	1788747	
10	भारतीय स्टेट बैंक सरकाघाट 65111946380	3015936	
11	भारतीय स्टेट बैंक सरकाघाट 38862338312	8415	
12	कैनरा बैंक सरकाघाट 5069101000167	5102391	
13	कैनरा बैंक सरकाघाट 506910100094194	12002	
14	हिमाचल ग्रामीण बैंक सरकाघाट 82270100097658	7462281	

15	पंजाब नैशनल बैंक सरकाघाट 0867000100069300	1073097	
16	पंजाब नैशनल बैंक सरकाघाट 6017000100030729	5292143	
17	आई सी आई सी आई बैंक सरकाघाट 000045	1993043	
18	यूको बैंक शिमला 12550110043363	0	
19	इन्डियन बैंक (NULM PFMS A/c) 76718	30000	
	बचत खातों के अन्तशेष का कुल योग		**78414772**
	सावधि निवेश तथा बचत खातों के शेष के अनुसार दिनांक 31.03.2023 को कुल जमा राशिः–		**121549308**

(5.1.3) बैंक समाधान विवरणी (परिशिष्ट ''5'')

रोकड़ बही व वित्तीय स्थिति के अनुसार दिनांक 31.03.2023 को अन्तशेष	121544359
(+) **जमाः–** कैनरा बैंक सरकाघाट में सावधि निवेश खाता संख्या 506940100030071 में दिनांक 02.12.2022 को जमा ब्याज का लेखांकन रोकड़ बही पृष्ठ 73 पर दिनांक 31.05. 2023 को किया गया है।	4949
उपरोक्त जमा के पश्चात रोकड़ बही का संशोधित अन्तशेष	**121549308**
गत उप–अनुच्छेद 5.1.2 के अनुसार परिषद के पास दिनांक 31.03.2023 को उपलब्ध कुल निधि	**121549308**
अन्तर	**शून्य**

5.2.1 पैन्शन एवं ग्रैच्युटी निधि की वित्तीय स्थिति

कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा• नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग–शिमला/2023/–116 दिनांकः 27/04/2022 के सन्दर्भ में **परिशिष्ट–6** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार पैन्शन एवं ग्रैच्युटी निधि की अंकेक्षणाधीन अवधि 01.04. 2022 से 31.03.2023 तक की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से हैः–

वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	अंशदान प्राप्त बैंक ब्याज सहित (₹)	कुल योग (₹)	व्यय/ भुगतान (₹)	अन्तशेष (₹)
2022–23	344731	1170821	1515552	675510	840042

(5.2.2) पैन्शन एवं ग्रैच्युटी निधि की बैंक समाधान विवरणी (परिशिष्ट–6)

विवरण	राशि (₹)
हि0प्र0सह0 बैंक सरकाघाट बचत खाता संख्या 32310108984	840042
रोकड़ बही / वित्तीय स्थिति अनुसार 31.03.2023 का अन्तशेष	840042
अन्तर	शून्य

6. अनुदान

(6.1) अनुदानों की वित्तीय स्थिति

कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा• नियन्त्रक / राज्य लेखा परीक्षा विभाग–शिमला / 2023 / –116 दिनांकः 27 / 04 / 2023 के सन्दर्भ में **परिशिष्ट–7** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार अंकेक्षण अवधि में परिषद को प्राप्त अनुदानों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है:–

वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	प्राप्तियाँ (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तशेष (₹)
2022–23	69969979	32614186	102584165	24054287	78529878

(6.2) अनुदानों की ₹785.30 लाख की राशि उपयोग हेतु शेष

गत उप अनुच्छेद 6.1 में वर्णित तालिका के अवलोकन से स्पष्ट विदित होता है कि दिनांक 31.03.2023 को परिषद द्वारा प्राप्त अनुदानों में से ₹7,85,29,878 / – की राशि उपयोग हेतु शेष थी जो परिलक्षित करता है कि परिषद इन अनुदानों का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करने में विफल रही है तथा इस सन्दर्भ में तुरन्त सुधार लाए जाने की आवश्यकता है।

(6.3) दिनांक 1.4.2022 से पूर्व प्राप्त ₹585.57 लाख के अनुदानों का कई वर्ष से अधिक अवधि के उपरान्त भी उपयोग करने में विफलता

दिनांक 01.04.2022 से पूर्व विभिन्न परियोजनाओं हेतु प्राप्त अनुदान राशियों में से ₹5,85,56,677 / – की अनुदान राशियाँ ऐसी हैं जिनको वर्तमान अंकेक्षण अवधि की समाप्ति दिनांक 31.03.2023 तक कई वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी व्यय नहीं किया गया था। ***इनमें से सर्वाधिक 10 वर्ष से अधिक की देरी ''सीवरेज लाईन बिछाने हेतु Urban Infrastructure Development Scheme for Small and Medium Towns (UIDSSMT)'' तथा 9 वर्ष से अधिक की देरी ''Integrated Housing and Slum Development Programme (IHSDP)'' में प्राप्त अनुदान का***

उपयोग करने में की गई है। इन अनुदानों का विस्तृत तुलनात्मक विवरण **परिशिष्ट ''8''** में तथा संकलित विवरण निम्न तालिका में दिया गया है।

क्रम	**अनुदान मद**	**वर्ष जिसमें अनुदान प्राप्त हुआ था**	**अवधि जितने समय अनुदान व्यय नहीं किया गया है**	**व्यय हेतु शेष अनुदान राशि (₹)**
1	पन्द्रहवाँ वित्तायोग में प्राप्त अनुदान	2021—22	1 वर्ष से अधिक	4847394
2	पार्किंग तथा पार्क निर्माण हेतु प्राप्त अनुदान	2020—21	2 वर्ष से अधिक	6135741
3	शहरी निकाय सड़क व मार्ग निर्माण हेतु अनुदान	2021—22	1 वर्ष से अधिक	871998
4	***''Integrated Housing and Slum Development Programme (IHSDP)'' में प्राप्त अनुदान***	***2014—15***	***9 वर्ष से अधिक***	***26908309***
5	अटल श्रेष्ठ योजन में प्राप्त अनुदान	2019—20	3 वर्ष से अधिक	379358
6	आपदा राहत प्रबन्धन में प्राप्त अनुदान	2021—22	1 वर्ष से अधिक	250000
7	नगर पंचायत से नगर परिषद् स्तरोन्नत होने पर प्राप्त विशेष अनुदान	2021—22	1 वर्ष से अधिक	9087635
8	***सीवरेज लाईन बिछाने हेतु Urban Infrastructure Development Scheme for Small and Medium Towns (UIDSSMT) में प्राप्त अनुदान***	***2013—14***	***10 वर्ष से अधिक***	***9191309***
9	ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु प्राप्त अनुदान	2021—22	1 वर्ष से अधिक	884933
	कुल योग			**58556677**

उपरोक्त विफलता के कारण जहां अनुदान निधि का अनावश्यक अवरोधन हुआ है वहीं लाभार्थी जनता को भी प्राप्त होने वाले विकासात्मक लाभों से भी वंचित होना पड़ा है जोकि गम्भीर चिन्ता का विषय है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा• नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग–शिमला/2023/–149 दिनांकः 15/06/2023 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था जिसके प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी द्वारा पत्र संख्याः MC-SKT/EST./2023-1283 दिनांक 24.06.2023 द्वारा शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई किये जाने का आश्वासन दिया है। अतः भविष्य हेतु परामर्श दिया जाता है कि परिषद अपनी कार्य प्रणाली को और सुदृढ़ करते हुए प्राप्त अनुदानों का निर्धारित उद्देश्य हेतु उचित समय के अन्दर उपयोग करना सुनिश्चित करे ताकि लाभार्थी जनता को योजनाओं का समय पर लाभ प्राप्त हो सके तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7. निवेश

(7.1) परिषद् निधियों से किये गये निवेश का विवरण

कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा• नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग–शिमला/2022/–255 दिनांकः 07/11/2022 के सन्दर्भ में **परिशिष्ट–3** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.03.2023 को परिषद् निधियों से सावधि जमा योजना में निवेशित **₹4,31,34,536/– की** राशियों का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र0 सं0	**बैंक का नाम**	**सावधि जमा खाता सं0**	**निवेशित राशि (₹)**
1	एच0डी0एफ0सी0 बैंक सरकाघाट	50300286507558	252697
2	एच0डी0एफ0सी0 बैंक सरकाघाट	5030035567608	337162
3	एच0डी0एफ0सी0 बैंक सरकाघाट	503008201676	12186650
4	हि0प्र0रा0सह0 बैंक सरकाघाट	32330303208	706294
5	हि0प्र0रा0सह0 बैंक सरकाघाट	32330303340	4111924
6	हिमाचल ग्रामीण बैंक सरकाघाट	87273105581029	36974
7	कैनरा बैंक सरकाघाट	506940100030071	100146
8	पंजाब नैशनल बैंक सरकाघाट	1794302100355	12471949
9	पंजाब नैशनल बैंक सरकाघाट	1794302100336	12930740
	कुल निवेश		**43134536**

(7.2) कुशल वित्तीय प्रबन्धन के अभाव में अतिरिक्त निधि को सावधि जमा योजना में निवेष करने की अपेक्षा बचत खाते में जमा रखने के कारण सम्भावित ब्याज आय की हानि

गत उप–अनुच्छेद 5.1.2 में प्रस्तुत विवरणानुसार दिनांक 31.3.2023 को **₹7,84,14,772/–** की एक बड़ी राशि परिषद् के बचत खातों में शेष जमा थी जिसे यदि सामयिक आवश्यकता के अतिरिक्त उपलब्ध निधि को यदि कुशल वित्तीय प्रबन्धन के दृष्टिगत एक माह से एक वर्ष तक की अल्पावधि हेतु बैंक सावधि योजनाओं में निवेश किया जाता तो निश्चित रूप से ब्याज के रूप में अधिक आय अर्जित की जा सकती थी, परन्तु परिषद द्वारा ऐसा करने की अपेक्षा इतनी बडी राशि को केवल बैंक बचत खातों में जमा रखने के परिणामस्वरूप ब्याज के रूप में प्राप्त होने वाली संभावित अतिरिक्त आय से भी वंचित होना पड़ा है। अतः परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में परिषद की सामयिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समुचित राशि को बचत खाते में छोड़कर शेष उपलब्ध राशि को कुशल वितीय प्रबन्धन के साथ एक माह से एक वर्ष तक की अल्पावधि हेतु बैंक सावधि योजनाओं में निवेशित करना सुनिश्चित किया जाए ताकि परिषद को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा• नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग–शिमला/2023/–151 दिनांकः 15/06/2023 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था जिसके प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी द्वारा पत्र संख्याः MC-SKT/EST./2023-1283 दिनांक 24.06.2023 द्वारा शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई किये जाने का आश्वासन दिया है।

8. नगर परिषद् के वर्ष 2022–23 के बजट के सन्दर्भ में अंकेक्षण टिप्पणियाँ

कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा• नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग–शिमला/2023/–116 दिनांकः 27/04/2023 के सन्दर्भ में निदेशक, हिमाचल प्रदेश शहरी विकास विभाग द्वारा अनुमोदित वर्ष 2022–23 के बजट की उपलब्ध करवाई गई प्रतियों के अवलोकन पश्चात निम्नलिखित अंकेक्षण टिप्पणियाँ अपेक्षित हैंः–

(8.1) वर्ष 2022–23 के बजट में प्रस्तावित तथा वास्तविक आय–व्यय

आय व्यय का शीर्ष	वर्ष 2022–23
आय	
स्व–स्त्रोतों से प्रस्तावित आय	12698500

स्व–स्त्रोतों से वास्तविक आय	10668897
अन्तर	**2029603** **(15.98% कमी)**
अनुदानों से प्रस्तावित आय	35200000
अनुदानों से वास्तविक आय	32614186
अन्तर	**2585814** **(7.35% कमी)**
व्यय	
कुल प्रस्तावित व्यय	46521200
कुल वास्तविक व्यय	32660388
अन्तर	**13860812** **(29.80% कमी)**

(8.2) अनुमोदन

नगर परिषद् का वर्ष 2022–23 के बजट का अनुमोदन निदेशक, हिमाचल प्रदेश शहरी विकास विभाग द्वारा कार्यालय पत्र संख्याः UD-H(C)(1)-26/2011-25672-73 दिनाँक 12.08.2022 द्वारा किया गया है।

(8.3) बजट प्राक्कलन पांच माह के विलम्ब से अनुमोदित करवाना

हिमाचल प्रदेश नगर परिषद् अधिनियम 1994 के नियम 249 (1 व 2) में प्रावधित है कि नगर परिषद् का बजट प्राक्कलन एक फरवरी से लेकर 10 मार्च के बीच की अवधि में सदन के पटल पर रखे जाने के पश्चात जिलाधीश के माध्यम से समय पर अनुमोदन हेतु निदेशक, हिमाचल प्रदेश शहरी विकास विभाग को प्रेषित किया जायेगा। इसी प्रकार नियम 249(5) में प्रावधित है कि यदि नगर परिषद् सदन उपरोक्त वर्णित तिथियों के बीच बजट प्रस्तावों को अपनी सहमती नहीं देता है तो कार्यकारी अधिकारी सदन की सहमती के बिना ही जिलाधीश के माध्यम से समय पर अनुमोदन हेतु निदेशक को प्रेषित करेगा। वर्ष 2022–23 के बजट की अनुमोदित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि जिलाधीश मण्डी के माध्यम से यह पत्र संख्याः Mandi-DC-UDA(e-office-15846)/2022-30200-01 दिनाँक 26.07.2022 द्वारा निदेशक, हिमाचल प्रदेश शहरी विकास विभाग को प्रस्तुत किये जाने पर गत उप–अनुच्छेद 8.2 में वर्णित पत्र द्वारा दिनाँक 12.08.2022 को अनुमोदत किया गया है। इससे स्पष्ट है कि बजट प्राक्कलन तैयार करने में कितनी उदासीनता,

निरूत्साह तथा विलम्ब दिखाया गया है। वित्तीय वर्ष आरम्भ होने के लगभग पांच महीने पश्चात बजट अनुमोदित करवाने से यह सारी प्रक्रिया ही निरर्थक हो जाती है।

(8.4) बजट लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफलता

गत उप–अनुच्छेद (8.1) में दिये वर्ष 2022–23 के प्रस्तावित बजट अनुमानों तथा वास्तविक लक्ष्य प्राप्ति के आंकड़ों के अवलोकन से स्पष्ट है कि नगर परिषद् अपने प्रस्तावित बजट लक्ष्यों को प्राप्त करने से दूर है। यदि स्व–स्त्रोतों से आय के बजट अनुमानों व वास्तविक आय की तुलना की जाए तो क्रमशः **₹2029603** (**15.98%**) व **₹2585814** (**7.35%**) की कमी पाई गई है। वर्ष 2022–23 के बजट को अनुमोदित करते हुये निदेशक, हिमाचल प्रदेश शहरी विकास विभाग द्वारा उपरोक्त वर्णित कार्यालय पत्र की शर्त संख्या 6 में आय के संसाधनों को बढ़ाने तथा सम्पूर्ण वसूली सुनिश्चित करने बारे निर्देश दिये गये हैं, परन्तु वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि परिषद् द्वारा या तो इनकी अनुपालना सुनिश्चित करने हेतु प्रयत्न नहीं किये जा रहे अथवा प्रस्तावित लक्ष्य ही अव्यवहारिक निर्धारित किये गये थे। इसी प्रकार यदि व्यय की तुलना की जाये तो इसमें भी या तो अव्यवहारिक लक्ष्य निर्धारित किये गये थे अथवा अकर्मण्यता व निष्क्रियता के कारण नगरवासियों को अपेक्षित सुविधाएँ देने में विफलता रही है।

उपरोक्त अंकेक्षण टिप्पणियों से स्पष्ट है कि नगर परिषद् सरकाघाट द्वारा बजट जैसे महत्वपूर्ण कार्य को मात्र एक औपचारिकता की तरह लिया गया है तथा इसके महत्व को लेकर किसी प्रकार की गम्भीरता का भाव नहीं है। अतः इस बारे में वस्तुस्थिति तथ्यों सहित स्पष्ट करते हुये भविष्य में कार्यप्रणाली में सुधार सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

9. नगर परिषद की गत तीन वर्षों की आय व व्यय का विवरण

नगर परिषद की गत तीन वर्षों से सम्बन्धित आय व व्यय का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

वित्तीय वर्ष	आय (स्वः स्त्रोत+अनुदान+ब्याज) (₹)	व्यय (₹)
2019–20	36072275	58132585
2020–21	52823824	35417256
2021–22	35586923	30181576

10. आय के अंकेक्षण से सम्बन्धित टिप्पणियाँ

नगर परिषद् सरकाघाट द्वारा अवधि 04/2022 से 03/2023 तक में विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त आय के सम्बन्ध में पाई गई अनियमितताओं को निम्नानुसार वर्णित किया गया हैः–

(10.1) गृहकर

(10.1.1) गृहकर का बकाया ₹63.03 लाख वसूली हेतु शेष

कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा॰ नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग–शिमला/2023/–116 दिनांकः 27/14/2023 के सन्दर्भ में **परिशिष्ट ''9''** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.3.2023 को परिषद् क्षेत्र के नगरवासियों से गृहकर बकाया के रूप में ₹63,02,918/– की राशि की वसूली शेष थी। प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से अंकेक्षण में पाया गया कि इस बकाया राशि की वसूली हेतु किसी प्रकार के ठोस प्रयास किये गये प्रतीत नहीं हुये जोकि गम्भीर चिन्ता का विषय है। अतः परामर्श दिया जाता है कि नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 87 व 89 के प्रावधानों के आधार पर इस बकाया राशि की वसूली सुनिश्चित करके तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। **वसूली हेतु बकाया गृहकर का विवरण निम्न तालिका में संकलित हैः–**

वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	वर्ष के लिये माँग (₹)	कुल योग (₹)	वर्ष में वसूली (₹)	अन्तशेष (₹)	टिप्पणी
2022–23	6411255	852368	7263623	960705	6302918	––

(10.1.2) 25 वर्षों से लम्बित ₹24.33 लाख के गृहकर की वसूली हेतु नियमानुसार कोई ठोस कार्रवाई न करना

गत उप–अनुच्छेद में वर्णित दिनाँक 31.03.2023 को बकाया गृहकर ₹63,02,918/– के अभिलेख की अंकेक्षण जाँच में पाया गया कि 28 नगरवासियों से **₹24,32,912**/– की राशि गृहकर बकाया के रूप में कई वर्षों से वसूली हेतु लम्बित थी जिसका विवरण **परिशिष्ट ''10''** में संकलित है। इन में से 22 दोषियों (Defaulters) से 15 वर्षों से अधिक तथा शेष 6 दोषियों से 7 से लेकर 15 वर्षों की अवधि की वसूली नहीं की गई है। हिमाचल प्रदेश नगर परिषद् अधिनियम 1994 के नियम 86 व 87 तथा निदेशक, शहरी विकास द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा निर्देशों द्वारा करों व शुल्कों की शत/प्रतिशत वसूली के निर्देश जारी किये गये हैं परन्तु इनकी अनुपालना नहीं हुई है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा॰ नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग–शिमला/2023/–160 दिनांकः 19/06/2023 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था जिसके प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी द्वारा पत्र संख्याः परि/सरका/2023–1263 दिनांक 21. 06.2023 द्वारा शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई किये जाने का आश्वासन दिया है। अतः इन दोषियों से

गृहकर बकाया की शत प्रतिशत वसूली हेतु नियमों के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर ठोस कार्रवाई सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

(10.1.3) गृहकर मांग व संग्रह रजिस्टर में देय गृहकर बकाया राशि को एक वित्त वर्ष से दूसरे में उठाते (Carry Over) समय ₹0.11 लाख से कम दर्शाना

अवधि 01.04.2022 से 31.03.2023 के गृहकर मांग व संग्रह रजिस्टर की अंकेक्षण जाँच में पाया गया कि निम्न तालिका में वर्णित प्रकरणों में अन्तशेष को एक वर्ष से दूसरे के लिये उठाते (Carry Over) समय बकाया राशि को या तो कम दर्शाया गया या फिर शून्य दर्शाये जाने के परिणामस्वरूप नगर परिषद् को 2022–23 में **₹10625/–** की हानि हुई है।

क्र.	नाम	वार्ड	मकान संख्या	31.3.22 को बकाया गृहकर (₹)	1.4.22 को दर्शाया गया बकाया गृहकर का आरम्भिक शेष (₹)	अन्तर (₹)
1	रणजीत सिंह	3	61	230	0	230
2	केदार अली	3	97	540	0	540
3	चिन्त राम	4	180	4995	0	4995
4	मजाद दीन	4	222	4860	0	4860
	कुल योग					10625

इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा• नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग–शिमला/2023/–153 दिनांकः 15/06/2023 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहे जाने पर कार्यकारी अधिकारी द्वारा पत्र संख्याः MC-SKT/-2023-1265 दिनांक 21.06.2023 द्वारा सूचित किया कि माँग व सन्ग्रह रजिस्टर में आवश्यक सुधार कर लिया गया जिसका सत्यापन अँकेक्षण में कर लिया गया है।

(10.1.4) वर्ष 2022–23 के लिये गृहकर माँग दर्ज करने के पश्चात गलत योग के कारण अन्तशेष राशि को ₹0.65 लाख से कम दर्शाना

अवधि 01.04.2022 से 31.03.2023 के गृहकर मांग व संग्रह रजिस्टर की नमूना अंकेक्षण जाँच में पाया गया कि निम्न तालिका में दिये विवरणानुसार वर्ष 2022–23 की गृहकर माँग दर्ज करने के पश्चात गलत योग के कारण बकाया गृहकर राशि अपेक्षित की तुलना में ₹64,822/– से कम दर्ज की गई है।

क्रम	गृहस्वामी	वार्ड	मकान संख्या	31.03. 2022 का अन्तशेष (₹)	2022–23 की माँग (₹)	2022–23 में की गई वसूली (₹)	31.03. 2023 का कुल अपेक्षित अन्तशेष (₹) (5+6–7)	31.03. 2023 को रजिस्टर में दर्ज शेष (₹)	अन्तर (कम दर्ज शेष) (₹) (8–9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	संजय कुमार	6	145	51320	3332	0	54652	0	54652
2	फूलां देवी	6	150	128898	8370	0	137268	128898	8370
3	चन्द्रमणी	6	178	10395	675	1350	9720	7920	1800
	कुल योग								**64822**

इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा• नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग–शिमला/2023/–161 दिनांकः 19/06/2023 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहे जाने पर कार्यकारी अधिकारी द्वारा पत्र संख्याः परि/सरका/2023–1262 दिनांक 21.06.2023 द्वारा सूचित किया कि माँग व सन्ग्रह रजिस्टर में आवश्यक सुधार कर लिया गया जिसका सत्यापन अँकेक्षण में कर लिया गया है।

(10.1.5) नगर परिषद क्षेत्र के अन्दर स्थित होटलों तथा गैस्ट हाउसों से नियमानुसार गृहकर की वसूली न करना

हिमाचल प्रदेश नगरपलिका अधिनियम 1994 तथा निदेशक शहरी विकास विभाग द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार परिषद् क्षेत्र में स्थापित होटलों व गैस्ट हाउसों से व्यावसायिक गतिविधियों के लिये 12.5 प्रतिशत की दर से गृहकर वसूल किया जाना अपेक्षित है। अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा• नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग–शिमला/2023/–155 दिनांकः 15/06/2023 द्वारा कार्यकारी अधिकारी से इस सन्दर्भ में ब्यौरा प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध किया गया था। जिसके प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी द्वारा पत्र संख्याः MC/SKT-2023-1264 दिनांक 21.06.2023 द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार अंकेक्षणावधि के दौरान इस मद में किसी प्रकार की वसूली नहीं की गई है। मात्र इतना ही नहीं बल्कि परिषद् के सीमा़क्षेत्र में कितने होटल व गैस्ट हाउस कब से व्यवसाय कर रहे हैं के सम्बन्ध में भी कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है। संसाधनों की कमी से जूझती परिषद् द्वारा आय के इस महत्वपूर्ण संसाधन का दोहन न किया जाना एक बहुत

ही गम्भीर विषय है तथा वित्तीय प्रबन्धन के अभाव को दर्शाता है। अतः सुझाव दिया जाता है कि इस विवरण को तैयार करते हुए परिषद् क्षेत्र में कार्यरत समस्त होटलों व गैस्ट हाउसों से उनकी स्थापना के समय से प्राप्य गृहकर का निर्धारण करके पूर्ण राशि की यथाशीघ्र वसूली हेतु हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 के नियम 86 से 89 के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(10.2) दुकानों का किराया

(10.2.1) दुकानों के बकाया किराये की ₹26.33 लाख की राशि वसूली हेतु शेष

कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा• नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग–शिमला/2023/–116 दिनांकः 27/04/2023 के सन्दर्भ में **परिषिष्ट ''11''** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.3.2023 को दुकानों के बकाया किराये की ₹26,32,943/– की राशि वसूली हेतु शेष थी। प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है कि इस बकाया राशि की वसूली हेतु किसी प्रकार के ठोस प्रयास नहीं किये जा रहे जोकि गम्भीर चिन्ता का विषय है। अतः मासिक किराये की राशि नियमित रूप से वसूल न किये जाने बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 के नियम 258 के उप नियम (2) तथा (3) के प्रावधानों के आधार पर किराया न देने वाले दुकानदारों के विरूद्ध प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। **वसूली हेतु बकाया दुकान किराये का विवरण निम्न तालिका में संकलित हैः–**

वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	वर्ष के लिये माँग (₹)	कुल योग (₹)	वर्ष में वसूली (₹)	अन्तशेष (₹)	टिप्पणी
2022–23	2930209	475425	3405634	772691	2632943	––

(10.2.2) 27 वर्षों से लम्बित ₹21.47 लाख के दुकानों के किराये की वसूली हेतु ठोस कार्रवाई न करना

गत उप–अनुच्छेद में वर्णित दिनाँक 31.03.2023 को बकाया दुकान किराये की विवरणी के अवलोकन पर पाया गया है कि **परिशिष्ट ''12''** में संकलित दुकानदारों से बकाया किराये की **₹21,46,705/–** की राशि, **जोकि कुल बकाया ₹26,32,943/– का 81.53% है,** कई वर्षों से वसूली हेतु लम्बित है। इसमें से अधिकतम अवधि 318 माह अथवा लगभग 27 वर्ष के दोषी (Defaulter) श्री ***आर. आर. परमार*** क्रमाँक 12 दर्ज हैं। इसके अतिरिक्त इन 11 किराया भुगतान दोषियों में से 4 ने लगभग 200 (196 से 234) से अधिक, 1 ने 100 से अधिक तथा 3 ने 50 से अधिक माह, जोकि

4 वर्ष से लेकर 20 वर्ष तक बनते हैं, की अवधि के लिये किराया भुगतान नहीं किया है। अवलोकन से स्पष्ट है कि इन दुकानों को वर्तमान बाजार भाव की दरों की तुलना में नाममात्र मासिक किराये पर आबंटित किया गया है यह बहुत खेदजनक है कि इतना कम किराया होने के उपरान्त भी इन किरायेदारों द्वारा इतने वर्षों से किराये का भुगतान नहीं किया गया तथा ऐसा प्रतीत होता है कि यह किरायेदार बकाया किराये का भुगतान करने के इच्छुक ही नहीं हैं। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या सहा• नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग–शिमला/2023/–152 दिनांकः 15/06/2023 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया जिसके प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी द्वारा पत्र संख्याः MC/SKT-2023-1283 दिनांक 24.06.2023 द्वारा शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई किये जाने का आश्वासन दिया है। यह स्थिति अत्यन्त चिन्तनीय है क्योंकि जब परिषद् द्वारा इन गम्भीर दोषियों के विरूद्ध कोई वैधानिक कदम नहीं उठाती है तो इससे अन्य किरायेदारों को भी किराया भुगतान न करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है।। अतः इन किरायेदारों से बकाया किराये की वसूली न किये जाने बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 के नियम 258 के उप नियम (2) तथा (3) के प्रावधानों के आधार पर इनके विरूद्ध प्राथमिकता के आधार पर ठोस कार्रवाई करके बकाया राशि की वसूली सुनिश्चित की जाए व तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

(10.2.3) दुकान किराये के साथ वसूल किये गये वस्तु व सेवा कर की ₹2.55 लाख की राशि को सम्बन्धित विभाग के पास जमा न करवाना

कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा• नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग–शिमला/2023/–116 दिनांकः 27/04/2023 के सन्दर्भ में **परिशिष्ट ''13''** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना तथा दुकानों के किराये से सम्बधित रजिस्टर की जाँच में पाया गया कि अवधि 04/2016 से 03/2023 तक नगर परिषद् द्वारा दुकान किराये के साथ वसूल वस्तु व सेवा कर की ₹2,54,936/–की राशि को सम्बन्धित विभाग को भुगतान न करके परिषद् निधि में ही जमा रखा गया है। सरकारी राजस्व को समय पर सम्बन्धित विभाग के पास नियमानुसार जमा न करवाना बहुत ही गम्भीर अनियमितता है तथा इस सम्बन्ध में आबकारी एवं कराधान विभाग अथवा वस्तु एवं सेवाकर विभाग द्वारा कभी भी दण्ड (Penality) लगाया जा सकता है और ऐसी स्थिति में इसके लिए सम्बन्धित आहरण एवं संवितरण अधिकारी का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा। समय पर सरकार के राजस्व का भुगतान न करने बारे औचित्य स्पष्ट करते हुये इस राशि को प्राथमिकता के आधार पर सम्बन्धित राजस्व शीर्षक में जमा करवाना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(10.3) मोबाईल टावर स्थापना व नवीनीकरण शुल्क की ₹5.01 लाख की राशि वसूली हेतु शेष

कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा• नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग–शिमला/2023/–116 दिनांकः 27/04/2023 के सन्दर्भ में **परिशिष्ट "14"** में उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार परिषद क्षेत्र में विभिन्न कम्पनियों द्वारा रिहायशी एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों के भवनों के ऊपर मोबाईल टावर स्थापित किये गये है जिस हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की अधिसूचना संख्याः (डी0आई0टी0)–डी0ई0वी0 (आई0टी0) 2005 (एम0आई0एस0सी0)–96 दिनांक 21.6.2017 द्वारा निर्धारित दरों से स्थापना एवं नवीनीकरण शुल्क की वसूली की जाती है। उक्त परिशिष्ट के अनुसार दिनांक 31.3.2023 को इस मद में ₹5,01,875/– की राशि विभिन्न कम्पनियों से वसूली हेतु शेष थी। अतः इस बकाया राशि को शीघ्र सम्बन्धित कम्पनियों से वसूल करके तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाये।

(10.4) सफाई शुल्क की ₹1.50 लाख की राशि वसूली हेतु शेष

कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा• नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग–शिमला/2023/–116 दिनांकः 27/04/2023 तथा 145 दिनांकः 15/06/2023 के सन्दर्भ में **परिशिष्ट "15"** में उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.3.2023 को इस मद में ₹1,50,379/– की राशि वसूली हेतु शेष थी। अतः इस बकाया राशि को शीघ्र वसूल करके तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाये।

(10.5) विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹0.16 लाख की कम वसूली करना

कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा• नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग–शिमला/2023/–116 दिनांकः 27/04/2023 के सन्दर्भ में उपलब्ध करवाये गये अभिलेख की अंकेक्षण जाँच में पाया गया कि **परिशिष्ट "16"** में दिये विवरणानुसार परिषद् द्वारा विवाह पंजीकरण शुल्क की ₹16495/– की राशि की कम वसूली की गई है। हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एंवम अधिकारिता विभाग के पत्र संख्याः एस.जे.ई.–ए.ए.(3) 1/2015, दिनांक 04.10.2016 द्वारा प्रावधित किया गया है कि विवाह पंजीकरण के लिये विवाह पश्चात 30 दिन तक सामान्य परिवार से ₹200/– तथा आई.आर.डी.पी./बी.पी.एल. परिवार से ₹25/– शुल्क वसूल किया जायेगा तथा 30 से 90 दिन की अवधि के बीच क्रमशः ₹400/– और ₹50/– शुल्क देय होगा। परन्तु अंकेक्षण जांच में पाया गया कि नगर परिषद द्वारा पंजीकरण शुल्क की प्रावधित दरों

से कम दर पर वसूली की गई है जोकि गम्भीर अनियमितता है। अतः अब इस राशि की वसूली प्राथमिकता के आधार पर उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

11. स्थापना (Establishment)

(11.1) श्रीमती सन्तोष कुमारी, सफाईकर्मी के दिनांक 01.01.2023 से अनियमित वेतन निर्धारण के कारण ₹0.01 लाख का अधिक भुगतान

श्रीमति सन्तोष कुमारी, सफाईकर्मी की सेवा पंजिका की अँकेक्षण जाँच में पाया गया कि दिनांक 01.01.2023 को देय वार्षिक वेतनवृद्धि ''हिमाचल प्रदेश सिविल सेवा (वेतन संशोधन) नियम 2022'' के पे–मेट्रिक्स के लेवल 3, सैल 25 में अपेक्षित ₹41000/– के स्थान पर ₹41100/– जारी करके प्रतिमाह ₹100/– मूल वेतन जमा अन्य भत्तों का अनियमित लाभ दिया गया है। इस अनियमितता के कारण श्रीमति सन्तोष को अवधि 01.01.2023 से 31.05.2023 के बीच निम्न विवरणानुसार अनुसार कुल ₹670/– का अधिक भुगतान किया गया है।

क्र	विवरण	राशि	कुल राशि
1	भुगतान किया गया मासिक मूल वेतन	₹41100	
2	34% की दर से भुगतान किया गया मासिक महँगाई भत्ता	₹13974	
3	भुगतान किया गया कुल मसिक वेतन		**₹55074**
4	देय मासिक मूल वेतन	₹41000	
5	34% की दर से देय मासिक महँगाई भत्ता	₹13940	
6	देय कुल मासिक वेतन		**₹54940**
7	कुल अधिक मासिक भुगतान		**₹134**
8	अवधि 01.01.2023 से 31.05.2023 तक 5 माह के लिये कुल अधिक वेतन भुगतान		**₹670**

इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा• नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग – शिमला/2023/– 154 दिनांकः 15/06/2023 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था जिसके प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी द्वारा पत्र संख्याः MC/SKT-2023-1283 दिनांक 24.06.2023 द्वारा शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई किये जाने का आश्वासन दिया है।

12. अग्रिमः

(12.1) नगर परिषद् द्वारा निक्षेप कार्य हेतु दिनांक 31.03.2023 तक जारी ₹303.57 लाख के अस्थाई अग्रिमों का समायोजन हेतु शेष पाया जाना

कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा॰ नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग–शिमला/2023/–116 दिनांकः 27/04/2023 के सन्दर्भ में **परिषिष्ट–17** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.03.2023 तक ₹3,03,56,666/– की ऐसी अग्रिम आहरित राशियां समायोजन हेतु शेष थीं जोकि विभिन्न निर्माण कार्यों का निष्पादन निक्षेप कार्य के रूप में करवाये जाने हेतु जारी की गई हैं। वर्ष 2022–23 में कोई अग्रिम निक्षेप कार्य हेतु जारी नहीं किया गया है। यह सभी अग्रिम दिनांक 01.04.2022 से पूर्व में जारी किये गये तथा इनका वर्तमान अंकेक्षण किये जाने तक समायोजन नहीं किया गया है। यह बहुत चिन्तनीय है कि इतना समय व्यतीत हो जाने के पश्चात भी इन अग्रिमों के समायोजन हेतु नगर परिषद द्वारा कोई गम्भीर प्रयत्न नहीं किया गया है। अतः इनका समायोजन न करने का औचित्य स्पष्ट करते हुये प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित कार्रवाई करके सम्बन्धित निर्माण कार्य निष्पादन करवाने वाले विभागों से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करके तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

13. नगर परिषद् कर्मचारियों के सन्दर्भ में पैन्शन व ग्रैच्युटि, सामान्य भविष्य निधि तथा अंशदायी पैन्शन निधि की रोकड़ बही व लैजर खातों का अनुरक्षण न करना

कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा॰ नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग–शिमला/2023/–116 दिनांकः 27/04/2023 तथा 150 दिनांक 15.06.2023 के सन्दर्भ में **परिशिष्ट–18** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार नगर परिषद् कर्मचारियों से सम्बन्धित पैन्शन व ग्रैच्युटि के भाग को कार्यकारी अधिकारी के नाम से खोले गये बैंक खाते में जबकि कर्मचारियों के वेतन से प्रतिमास की जाने वाली सामान्य भविष्य निधि तथा अंशदायी पैन्शन निधि अभिदान (नियोक्ता अंश सहित) की कटौती सम्बन्धित कर्मचारी के व्यक्तिगत बचत बैंक खाते, जो कि कार्यकारी अधिकारी के नाम गिरवी है, में जमा करवाया जाता है। दिनांक 31.03.2023 को इन बचत खातों के कुल शेष का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

1	पैन्शन व ग्रैच्युटि निधि का दिनांक 31.03.2023 को कुल शेष	₹8,40,042
2	कर्मचारी के कार्यकारी अधिकारी के नाम से गिरवी व्यक्तिगत बचत बैंक खातों	₹6,08,419

	में जमा सामान्य भविष्य निधि का दिनांक 31.03.2023 को कुल शेष	
3	कर्मचारी के कार्यकारी अधिकारी के नाम से गिरवी व्यक्तिगत बचत बैंक खातों में जमा अंशदायी पैन्शन निधि (नियोक्ता अंश सहित) का दिनांक 31.03.2023 को कुल शेष	₹45,16,186

इन खातों के सन्दर्भ में निम्नलिखित त्रुटियां पाई गई हैंः—

1.हिमाचल प्रदेश नगरपलिका लेखा संहिता 1975 के अध्याय 14 में नियम 213 से 227 तक में दिए गए प्रावधानों में नगर परिषद् कर्मचारियों के वेतन से प्रतिमास भविष्य निधि से सम्बन्धित की जाने वाली कटौतियों व आहरण की कार्यपद्धति, लेखांकन के नियम व प्रारूप आदि प्रतिपादित किए गए हैं। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया इस सन्दर्भ में लगभग किसी भी नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है।

2.उपरोक्त नियमों में प्रावधित भविष्य निधि खातों के सन्दर्भ में प्रारूप पी• एफ• 7 – 1 से पी• एफ• 12 में बनाए जाने वाले खातों/लैजर का नगर परिषद् द्वारा अनुरक्षण नहीं किया गया है।

3.उपरोक्त अभिलेख के अभाव में की गई कटौतियों की गणना, उनके लेखांकन, बैंक में जमा करवाया जाना, इन खातों पर दिया गया ब्याज तथा आहरण इत्यादि की अंकेक्षण के दौरान पुष्टि व जाँच नहीं की जा सकी है।

4.इसी प्रकार अंशदायी पैन्शन निधि मासिक अभिदान, जिसमें कर्मचारी तथा नगर परिषद् दोनों का अभिदान, सम्मिलित है को ''पैन्शन फण्ड नियामक एवँ विकास प्रधिकरण'' द्वारा संचालित एन. पी. एस. खाता (NPS Account with "Pension Fund Regulatory and Development Authority) खोल कर उसमें प्रत्येक माह जमा करवाया जाना अपेक्षित है परन्तु परिषद् द्वारा अपने कर्मचारियों के नाम से NPS Account खुलवाये ही नहीं गये हैं और दोनों प्रकार के अभिदान की राशि उपरोक्त बचत खातों में ही जमा करवाई जा रही है। यह न केवल गम्भीर अनियमितता है परन्तु साथ ही कर्मचारियों के सेवानिवृति पश्चात के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ है क्योंकि इस परिस्थिति में उन्हें किसी भी प्रकार की पैन्शन उपलब्ध नहीं होगी।

अतः अब इस अभिलेख का अनुरक्षण न किए जाने के बारे में सम्पूर्ण वस्तुस्थिति तथ्यों सहित स्पष्ट करते हुए इसे भविष्य हेतु तैयार किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

14. व्यय सम्बन्धी अनियमितताएँ

(14.1) बिजली बिलों में प्रत्येक माह हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् द्वारा माँग किये गये लाईन मुरम्मत शुल्क (Line Maintenance Charges) राशि के लिये ₹0.06 लाख का भुगतान करना

अंकेक्षण में पाया गया है कि नगर परिषद् द्वारा भुगतान किये गये बिजली के बिलों में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् द्वारा प्रत्येक बिल में ***''लाईन रख रखाव शुल्क (Line Maintenance Charges)"*** की माँग की गई है। नमूना अँकेक्षण जाँच हेतु चयनित माह में इस प्रकार भुगतान की गई राशि ₹5918/– का विवरण निम्न तालिका में दिया गया है।

क्र॰	दिनाँक	रो॰ ब॰ पृ॰	वाउचर संख्या	मीटर खाता संख्या	कुल भुगतान (₹)	माँग की गई गत बकाया राशि (₹)
1	16.12.2022	197	30	100006000140	1134.00	394.56
2	16.12.2022	197	30	100006000142	3124.00	147.96
3	16.12.2022	197	30	100006000145	2726.00	197.28
4	16.12.2022	197	30	100006000149	4066.00	394.56
5	16.12.2022	197	30	100006000151	1482.00	394.56
6	16.12.2022	197	30	100006000152	1234.00	394.56
7	16.12.2022	197	30	100006000153	5211.00	246.60
8	16.12.2022	197	30	100006000154	2029.00	295.92
9	16.12.2022	197	30	100006000155	2127.00	443.88
10	16.12.2022	197	30	100006000156	4746.00	493.20
11	16.12.2022	197	30	100006000157	1986.00	197.28
12	16.12.2022	197	30	100006000159	3223.00	197.28
13	16.12.2022	197	30	100006000161	7596.00	345.24
14	16.12.2022	197	30	100006000163	1430.00	98.64
15	16.12.2022	197	30	200006000073	9017.00	690.48
16	16.12.2022	197	30	200006000361	4775.00	986.40
				कुल राशि		₹5918.40

परन्तु नगर परिषद् द्वारा इस भुगतान को करने से पूर्व विद्युत परिषद् से इस शुल्क का औचित्य स्पष्ट किया जाना उचित नहीं समझा और माँगी गई सम्पूर्ण राशि का भुगतान कर दिया गया है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा• नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग – शिमला/2023/–164 दिनांकः 21/06/2023 द्वारा सूचित करने पर प्रत्युत्तर में कार्यालय पत्र संख्याः MC/SKT-2023-1283 दिनांक 24.06.2023 द्वारा शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई किये जाने का आश्वासन दिया है। अतः उपरोक्त प्रकरणों के अतिरिक्त नमूना अँकेक्षण जाँच के बाहर बचे शेष ऐसे सभी प्रकरणों की विस्तृत जाँच की जाये और विद्युत परिषद् से इस ₹5918/– के भुगतान बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करवाई जाये अन्यथा इसका समायोजन सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(14.2) व्यय वाउचरों में ₹1343/– की राशि का अधिक भुगतान करना

अंकेक्षण हेतु चयनित माह के व्यय वाउचरों की नमूना जांच में निम्नलिखित प्रकरणों में अधिक भुगतान पाया गया हैंः–

1. वाउचर संख्या 8 दिनांक 01.12.2022 द्वारा गाड़ी संख्या HP-28-5082 की मुरम्मत के लिये मै. वर्मा स्पेयर पार्ट, सरकाघाट के कैश मैमो संख्या 3 दिनांक 24.09.2022 के विरूद्ध ₹2945/– का भुगतान किया गया है जबकि इस कैश मैमों में दर्ज अलग–अलग पांच राशियों का कुल योग ₹2897/– (740+1042+835+250+30) बनता है। इस प्रकार कुल ₹48/– का अधिक भुगतान किया गया है।
2. व्यय वाउचर संख्या 17 दिनांक 06.12.2022 द्वारा श्री पवन कुमार, सेवादार को भुगतान किये गये चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ती में मै. आर. के. मैडीकल स्टोर सरकाघाट के कैश मैमो संख्या 013 दिनांक 03.10.2022 में Tablet Jalra M 50/100 Mg का अधिकतम मूल्य ₹142.50/– (प्रति 10 गोलियाँ) लिखकर 60 गोलियों के लिये ₹855/– के स्थान पर कुल राशि ₹1700/– वसूल की गई है। इस प्रकार कुल ₹845/– का अधिक भुगतान किया गया है।
3. व्यय वाउचर संख्या 19 दिनांक 12.07.2022 द्वारा श्री पवन कुमार, सेवादार को भुगतान किये गये चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ती में मै. कटवाल मैडीकल स्टोर धर्मपुर के कैश मैमो संख्या 480 दिनांक 30.05.2022 में Tablet EWG Drimedoil का अधिकतम मूल्य ₹449/– (प्रति 10 गोलियाँ) लिखकर 90 गोलियों के लिये ₹4041/– के स्थान पर कुल राशि ₹4491/– वसूल की गई है। इस प्रकार कुल ₹450/– का अधिक भुगतान किया गया है।

अतः इस ₹1343/– की राशि की वसूली सुनिश्चित करते हुये अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

15. निर्माण कार्यों में व्यय सम्बन्धी अनियमितताएँः

(15.1) कार्य निष्पादन में देरी होने पर भी संविदाकारों से अनुबन्ध की क्लॉज़ 2(2) के अनुसार ₹0.97 लाख की क्षतिपूर्ति राशि की कटौती न करना

परिशिष्ट ''19'' में वर्णित चार निर्माण कार्य बिलों की लेखा परीक्षा (जाँच) में पाया गया कि इनका आबन्टन करते समय कार्य निष्पादन हेतु जो समय निर्धारित किया गया था इस निर्धारित अवधि के भीतर इनका निष्पादन नहीं किया गया था। अंकेक्षण जांच के इन सभी प्रकरणों में कार्य निष्पादन में देरी के लिये समय बढौतरी के लिये न तो संविदाकार द्वारा किसी प्रकार का अनुरोध किया गया था और न ही नगर परिषद् द्वारा समय विस्तार दिया गया है।

संविदाकारों के साथ किये गये अनुबन्ध की क्लॉज़ 2(2) ***"Compensation for delay of work:*** **(ii) @3% of tendered amount per month of delay to be computed on per day basis when the time period of agreement less than six months"** में दिये प्रावधान के आधार पर इन सभी कार्यों का अन्तिम भुगतान करने से पूर्व कार्य निष्पादन में हुई देरी के लिये क्षतिपूर्ति राशि की कटौती बिल में से की जानी अपेक्षित थी जो कि नहीं की गई थी। इस अनियमितता के कारण उपरोक्त **"परिशिष्ट"** में दिये गये विस्तृत विवरणानुसार अलग–अलग संविदाकारों को ₹97292/– (9520+16311+52900+18561) का अधिक भुगतान किया गया है। इस अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा• नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग – शिमला/2023/–167 व 168, दिनांकः 22/06/2023 तथा 170 व 171 दिनांकः 23/06/2023 द्वारा कार्यकारी अधिकारी को सूचित किया गया था। इन सभी अंकेक्षण अधियाचनाओं के प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी द्वारा कार्यालय पत्र संख्याः MC/SKT-2023-1283 दिनांक 24.06.2023 द्वारा शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई किये जाने का आश्वासन दिया है। अतः उपरोक्त प्रकरणों के अतिरिक्त नमूना अँकेक्षण जाँच के बाहर बचे शेष ऐसे सभी प्रकरणों की विस्तृत जाँच की जाये और इस ₹97292/– के अनियमित व अधिक भुगतान सहित इस प्रकार किये गये अन्य सभी भुगतानों बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने के अतिरिक्त इस राशि की वसूली सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(15.2) निर्माण कार्य बिलों से काटी गई रॉयल्टी की ₹1.63 लाख की राशि को खनन विभाग के पास जमा न करवाना

नगर परिषद् के अंकेक्षणावधि के दौरान निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख की अंकेक्षण जांच में पाया गया कि **परिशिष्ट ''19 (ख)''** में दिये विवरणानुसार अवधि 04/2020 से 03/2023 के बीच तीन वर्षों में संविदाकारों से निर्माण कार्यों में उपयोग की गई खनिज सामग्री की मात्रा पर Himachal Pradesh Minor Minerals (Concession) and Minerals (Prevention of illegal mining Transport and Storage) Rules 2015 नियम के नियम 4 (1),18(1) व 19 (1) (9) के प्रावधानों के अनुसार वसूल की गई रॉयल्टी की ₹1,63,493/– की राशि की वसूली करके राशि खनन विभाग के पास जमा करवाने के स्थान पर अनियमित रूप से परिषद् निधि में ही जमा रखी गई है। रॉयल्टी की वसूली करके राशि सरकारी कोष में जमा न करवाने के कारण सरकार को राजस्व की हानि हुई है तथा इस चूक के कारण इस बात की पूरी सम्भावना है कि निकट भविष्य में खनन विभाग इस राशि की वसूली हेतु न केवल मूल राशि परन्तु इसके ऊपर ब्याज व दण्ड राशि के लिये भी माँग कर सकता है। ऐसी स्थिति में ब्याज व दण्ड राशि के भुगतान का दायित्व परिषद् का नहीं होगा। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा• नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग – शिमला/2023/– 162 दिनांकः 22/06/2023 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था जिसके प्रत्युत्तर में कर्यकारी अधिकारी द्वारा पत्र संख्याः MC/SKT-2023-1283 दिनांक 24.06.2023 द्वारा शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई किये जाने का आश्वासन दिया है। अतः प्राथमिकता के आधार पर इस राशि को सरकारी कोष में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(15.3) संविदाकारों से निर्माण कार्य बिलों से काटी गई श्रम उपकर (Labour Cess) की ₹2.28 लाख की राशि को श्रम अधिकारी मण्डी के पास जमा न करवाना

परिषद् द्वारा निष्पादित अंकेक्षणावधि के निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख की अंकेक्षण जांच के में पाया गया कि **परिशिष्ट ''19 (ख)''** में दिये विवरणानुसार अवधि 04/2020 से 03/2023 के बीच तीन वर्षों में निर्माण कार्य बिलों से श्रम उपकर की ₹2,27,551/– की कटौती करके श्रम अधिकारी मण्डी के पास जमा करवाने के स्थान पर अनियमित रूप से परिषद् निधि में ही जमा रखी गई है। इस राशि को सरकारी कोष/सम्बन्धित शीर्ष में जमा न करवाने के कारण सरकार को राजस्व की हानि हुई है तथा इस चूक के कारण इस बात की पूरी सम्भावना है कि

निकट भविष्य में सम्बन्धित विभाग इस राशि की वसूली हेतु न केवल मूल राशि परन्तु इसके ऊपर ब्याज व दण्ड राशि के लिये भी माँग कर सकता है। ऐसी स्थिति में ब्याज व दण्ड राशि के भुगतान का दायित्व परिषद् का नहीं होगा अपितु आहरण एवं संवितरण अधिकारी का होगा। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा• नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग – शिमला/2023/– 162 दिनांकः 22/06/2023 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था जिसके प्रत्युत्तर में कर्यकारी अधिकारी द्वारा पत्र संख्याः MC/SKT-2023-1283 दिनांक 24.06.2023 द्वारा शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई किये जाने का आश्वासन दिया है। अतः प्राथमिकता के आधार पर इस राशि को सरकारी कोष में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(15.4) निर्माण कार्यों के निष्पादन में नियमों में प्रावधित मात्रा से अधिक विचलन को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना किया गया अनियमित भुगतान

सी. पी. डलल्यू. डी. कोड 2014 के पैरा 24.1.2.(ए) के प्रावधानों के अनुसार अन्तिम बिल के भुगतान से पूर्व किसी भी निर्माण कार्य की निष्पादित मात्रा/राशि में आये कम/अधिक विचलन (Deviation) को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाये जाने के पश्चात ही भुगतान किया जाना अपेक्षित है। परन्तु नगर परिषद् सरकाघाट द्वारा अंकेक्षणावधि के दौरान निष्पादित निर्माण कार्य बिलों की अंकेक्षण जांच में पाया गया कि **परिशिष्ट ''20''** पर संकलित प्रकरणों में कुल कार्य निष्पादन अवार्ड मात्रा/राशि से कम अथवा अधिक मात्रा/राशि के लिये हुआ है तदापि इनके अन्तिम बिलों का भुगतान विचलन की सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति/नियमतिकरण के बिना ही किया गया जोकि गम्भीर अनियमितता है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा• नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग–शिमला/2023/–166 दिनांकः 22/06/2023 द्वारा सूचित करने पर प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी के कार्यालय पत्र संख्याः MC/SKT-2023-1283 दिनांक 24. 06.2023 द्वारा शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई किये जाने का आश्वासन दिया है। अतः प्राथमिकता के आधार पर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

16. परिषद् के ट्रक पंजीकरण संख्या HP – 28 – 5082 द्वारा ईंधन खपत में पाई गई अनियमितताएं

नगर परिषद् के पास आयशर कम्पनी का एक ट्रक जिसका पंजीकरण क्रमांक HP – 28 – 5082 है का प्रयोग नगर में कूड़ा उठाने में किया जाता है। इस वाहन की लॉगबुक की जांच में निम्न तालिका में दिये विवरणानुसार पाया गया कि वर्ष 2022–23 में पहली यात्रा माह 05/2022 को करते समय ट्रक में 118 लीटर ईंधन था तथा सारे वर्ष में 2000 लीटर ईंधन खरीदा गया है। इस वर्ष में कुल चालन 7415 किलोमीटर तथा औसत ईंधन खपत 4 किलोमीटर प्रति लीटर के

आधार पर 1857 लीटर ईंधन की खपत दर्ज की गई है। वर्षान्त में ट्रक में 261 लीटर ईंधन उपलब्ध दर्शाया गया है।

परन्तु यहाँ एक आश्चर्यजनक तथ्य सामने आया है कि इस ट्रक की ईंधन टंकी की क्षमता 50–60 लीटर से अधिक नहीं है और सारा वर्ष प्रत्येक मासान्त में इस टंकी में शेष ईंधन इसकी क्षमता से अधिक ही दर्शाया गया है जिसका विवरण निम्न तालिका में संकलित गया है। दिनांक 31.03.2023 को भी 261 लीटर ईंधन शेष में दर्शाया गया है जो कल्पना से भी बाहर है। यह सारा मामला अति संदिग्ध प्रतीत होता है जिसकी परिषद् द्वारा विस्तृत जांच अपेक्षित है।

क्रम	माह	लॉगबुक पृष्ठ	पिछले माह का बकाया ईंधन (लीटर)	माह में खरीदा गया ईंधन (लीटर)	माह में की गई यात्रा/चालन (किलोमीटर)	निर्धारित औसत ईंधन खपत के आधार पर माह में कुल ईंधन खपत (कॉल.6/4) (लीटर)	मासान्त में शेष ईंधन (लीटर)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मई 2022	16	118	100	490	123	95
2	जून 2022	17	95	250	1054	264	81
3	जुलाई 2022	18	81	250	885	221	110
4	सितम्बर 2022	19	110	50	177	44	116
5	अक्तूबर 2022	20	116	250	924	231	135
6	नवम्बर 2022	21	135	250	886	222	163
7	दिसम्बर 2022	23	163	200	925	232	131
8	जनवरी 2023	25	131	250	849	213	168
9	फरवरी 2023	26	168	200	395	99	269
10	मार्च 2023	29	269	200	830	208	261
	योग			**2000**	**7415**	**1857**	

इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा• नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग–शिमला/2023/–163 दिनांकः 21/06/2023 द्वारा सूचित करने पर प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी के कार्यालय पत्र संख्याः MC/SKT-2023-1283 दिनांक 24.06.2023 द्वारा शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई किये जाने का आश्वासन दिया है। अतः दिनाँक 31.03.2023 को अधिक

दर्शाई गई ईन्धन की मात्रा सम्भवतः 261–70=191 लीटर जो वास्तव में उपलब्ध नहीं है, का औचित्य स्पष्ट किया जाए या वसूली लगभग 191 x 85 = ₹16235/– उचित स्त्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाए व प्राथमिकता के आधार पर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

17. स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना

कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्याः सहा॰ नियन्त्रक/राज्य लेखा परीक्षा विभाग–शिमला/2023/–116 दिनांकः 27/04/2023 के सन्दर्भ में उपलब्ध करवाई गई सूचना तथा अभिलेख की जाँच में स्टोर/स्टॉक के लेखांकन में निम्नलिखित अनियमितताएँ पाई गई हैं।

1. अंकेक्षणाधीन अवधि में नगर परिषद द्वारा स्टॉक रजिस्टर में दर्ज सामान की भौतिक सत्यापना (Physical Verification) नहीं की गई है। जबकि हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली 2009 के नियम 140 के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष स्टॉक में शेष सामान की भौतिक सत्यापना करवाई जानी आवश्यक है।
2. नगर परिषद् द्वारा करवाये गये स्टोर/स्टॉक के अन्तिम भौतिक सत्यापन का अभिलेख अंकेक्षण को उपलब्ध नहीं करवाया गया। और न ही वर्तमान अंकेक्षणावधि में इन नियमों की अनुपालना की गई है।
3. हिमाचल प्रदेश नगरपलिका लेखा संहिता 1975 के अध्याय 15 में नियम 238 (1 व 2) में दिए गए प्रावधानों में नगर परिषद् द्वारा खरीदे गए स्टोर/स्टॉक के लेखांकन तथा भंडारण के संदर्भ में प्रावधित नियमों, सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों तथा सर्वमान्य प्रक्रियानुसार खरीदे गए स्टोर/स्टॉक का लेखांकन उनके जीवनकाल तथा उपयोग अनुरुप स्थाई अथवा अस्थाई (Consumable or Non-consumable) सामान के रूप में अलग–अलग पुस्तकों में किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त खरीदी गई प्रत्येक मद का इन्द्राज़ एक अलग पन्ने पर किया जाना चाहिए तथा क्रय की गई प्रत्येक वस्तु की पूर्ण मात्रा, उसका मूल्य तथा आपूर्तिकर्ता के बिल का पूर्ण विवरण भी भण्डारण पुस्तकों में लिखा जाना अपेक्षित है। नगर परिषद् द्वारा जिन स्टॉक रजिस्टरों का अनुरक्षण किया गया है उनमें इसमें से अधिकतर नियमों की अनुपालना तो की गई है परन्तु स्थाई तथा अस्थाई स्टॉक का लेखांकन एक ही रजिस्टर में किया गया है।
4. इन त्रुटियों के सन्दर्भ में पिछले कई वर्षों से अंकेक्षण द्वारा प्रत्येक प्रतिवेदन में आपत्ति दर्ज की गई है परन्तु नगर परिषद् द्वारा अभी तक अनुपालना हेतु कोई भी प्रयास नहीं किया है।

अतः उपरोक्त वर्णित त्रुटियों के सन्दर्भ में वस्तुस्थिति तथ्यों सहित स्पष्ट करके कार्यप्रणाली में आवश्यक सुधार लाते हुये अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाये।

18. दोहरी लेखा पद्धति (Double Entry System for Accounting) को लागू न करनाः–

निदेशक शहरी विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय पत्र संख्याः UD-H(C)-15-49/2003-III/3332-3379 दिनांक 25.03.2009, UD-H(C)-15-49/2003-III/9337-9385 दिनांक 07. 09.2009 एवं UD-H(C)-15-49/2003-IV/5215-63 दिनांक 19.07.2010 द्वारा सभी नगर निगम, नगर परिषद् एवं नगर पंचायतों को निर्देश दिये गये थे कि लेखा खातों का अनुरक्षण दिनांक 01.04.2009 से दोहरी लेखा पद्धति (Double Entry System) के आधार पर किया जाये। परन्तु नगर परिषद् सरकाघाट के वित्तीय वर्ष 2022–23 के लेखा खातों के अंकेक्षण में पाया गया कि इन निर्देशों की पूर्णतः अवहेलना करते हुये लेखा खातों का अनुरक्षण एकल लेखा पद्धति (Single Entry System) के आधार पर ही किया गया था जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। अतः निदेशक शहरी विकास विभाग के उपरोक्त निर्देशों की अवहेलना करने का औचित्य स्पष्ट करते हुये भविष्य हेतु प्राथमिकता के आधार पर लेखों का अनुरक्षण दोहरी लेखा पद्धति (Double Entry System) से करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

19. तुलन–पत्र

नगर परिषद् के तुलन पत्र पर अंकेक्षण टिप्पणियाँः–

निदेशक, शहरी विकास, हि0प्र0 के पत्र संख्या UD-H(C)-15-49/2003-III-3332-3379 Dt. 25.03.2009, समसंख्यक पत्र दिनांक 07.09.2009 व 19.07.2010 व पन्द्रहवाँ वित्तायोग के प्रावधानों की अनुपालना में नगर परिषद् सरकाघाट द्वारा अपने वर्ष 2022–23 के लेखों का तुलन पत्र (परिशिष्ट) अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया। तुलन पत्र के अवलोकन पर निम्नलिखित अंकेक्षण टिप्पणियाँ वाँछित हैंः–

1. **परिषद् की चल व अचल सम्पत्तियों तथा लेनदारियों को तुलन पत्र में न दर्शानाः–** तुलन पत्र के अवलोकन पर पाया गया कि इसमें मात्र दो ही सम्पत्तियाँ (क्रीड़ा उपकरण तथा फर्निचर व फिक्सचर) दर्शाई गई हैं। जबकि नगर परिषद् द्वारा अंकेक्षण को प्रस्तुत विविध सूचियों के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 31.03.2023 को नगर परिषद् के पास निम्नलिखित चल व अचल सम्पत्तियाँ उपलब्ध थीं जिन्हें इस तुलन पत्र में नहीं दर्शाया गया हैः–

(i) परिषद् के पास अपना तीन मंजिला नया कार्यालय भवन एवं रैन वसेरा, दो मंजिला पुराना कार्यालय भवन, 51 दुकानें, जिनसे इस वित्तीय वर्ष में ₹772691/– की राशि किराये के रूप में वसूल की गई है, एक जंजघर, एक वाहन पार्किंग, एक सैन्ट्रल पार्क आदि कई अचल सम्पत्तियाँ हैं

जिन्हें तुलन पत्र में नहीं दर्शाया गया है जबकि लेखा सिद्धान्तों अनुसार समस्त चल/अचल सम्पत्तियाँ तुलन–पत्र में दर्शाई जानी आपेक्षित है।

(ii) नगर परिषद् द्वारा अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत लेनदारियों की सूचियों के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 31.03.2023 को नगर परिषद् द्वारा ₹96,04,610/– की लेनदारियाँ (गृहकर ₹63,02,918/–, दुकान किराया ₹26,32,943/–, मोबाईल टॉवर शुल्क ₹5,01,875/–, सफाई शुल्क ₹1,50,379/– तथा विवाह पंजीकरण शुल्क ₹16,495/–) वसूल करने को शेष थीं। उपरोक्त लेनदारियाँ तुलन पत्र में नहीं दर्शाई गई है।

(iii) इसके साथ ही परिषद् द्वारा विभिन्न निर्माण कार्य निक्षेप कार्य के रूप में करवाने के लिये अलग–अलग विभागों को दिनांक 31.03.2023 तक ₹3,03,56,666/– की राशि अग्रिम भुगतान की गई है।

2. **परिषद् देनदारियों को तुलन पत्र में न दर्शानाः–** तुलन पत्र के अवलोकन पर पाया गया कि इसमें देनदारियाँ शून्य दर्शाई गई हैं जबकि नगर परिषद् द्वारा अंकेक्षण को प्रस्तुत विविध सूचियों के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 31.03.2023 को नगर परिषद् द्वारा ₹6,45,980/– की देनदारियाँ (वस्तु व सेवा कर ₹2,54,936/–, रॉयल्टी ₹1,63,493/– तथा श्रम उपकर ₹2,27,551/–) भुगतान करने को शेष थीं।

3. **अचल सम्पत्तियों का मूल्यांकन न करना/करवानाः–** दोहरी लेखा प्रणाली के नियमों के अनुसार नगर परिषद् द्वारा वार्षिक तुलन पत्र तैयार करने से पहले अपनी समस्त अचल सम्पत्तियों का मूल्यांकन करके उन्हें इसके सम्पत्ति पक्ष में दर्शाया जाना अपेक्षित था परन्तु ऐसा नहीं किया गया है।

अतः नगर परिषद सरकाघाट द्वारा चल व अचल सम्पत्तियाँ, लेनदारियाँ, देनदारियाँ, निर्माण, निक्षेप कार्य के अग्रिम तथा अन्य अग्रिम आदि तुलन पत्र (Balance Sheet) में नहीं दर्शाए गए हैं, जोकि लेखा सिद्धान्तों की अवहेलना है तथा ऐसे में नगर परिषद सरकाघाट का तुलन–पत्र सम्पत्ति एवं देयताओं (Assets and Liablities) की सही स्थिति परिलक्षित नहीं करता है। नगर परिषद की समस्त सम्पत्तियों एवं देयताओं को तुलन–पत्र में सम्मिलित किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

20. **लघु आपत्ति विवरणिकाः–** यह अलग से जारी नहीं की गई थी तथा सभी लघु आपत्तियों का स्थल पर ही निपटारा कर लिया गया था।

21. **निष्कर्षः–** लेखों के रख–रखाव में सुधार की नितान्त आवश्यकता है।

हस्ता / –

(अनिल कुमार मेहरा)
उप निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009.
फोन नं0 0177–26020881

पृष्ठांकन संख्याःफिन(एल0ए0) एच (2)सी–15(V)75/81 खण्ड–1-6551-6552 दिनांकः 31.07.23
शिमला–171009,

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 निदेशक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेश शिमला–171002 को पैरा संख्याः 1 (ग) में वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

पंजीकृत : 2 कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद सरकाघाट, तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी (हिमाचल प्रदेश) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों का सटिप्पण उतर प्रतिवेदन जारी होने से एक माह के भीतर इस विभाग को प्रेषित करें।

हस्ता / –
(अनिल कुमार मेहरा)
उप निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009.
फोन नं0 0177–26020881

परिषिष्ट ''1''

पैरा 1 (घ) में सन्दर्भित

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों का विवरण

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/84 से 3/85

क्रम	पैरा संख्या	स्थिति	आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	कृत अनुपालना का विवरण
1	*पैरा–9 (4) (ए)*	*अनिर्णीत*	*कम जमा करवाई गई आय (Meat Passing Fees) की ₹1066 की वसूली अभी तक नहीं की गई है।*	

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/86 से 3/88

1	*पैरा–7 **(v)***	*अनिर्णीत*	*रोकड़ बही में अधिक बुक किये गये ₹1788 की राशि की न तो अभी तक वसूली की गई और न ही इसके औचित्य को स्पष्ट करने वाला कोई अभिलेख उपलब्ध करवाया गया है।*	

(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/89 से 03/90

1	*पैरा–7 (ज)*	*अनिर्णीत*	*प्रधान अधिसूचित क्षेत्र समिति सरकाघाट श्री जे. के. शर्मा एस• डी• एम• से यात्रा भत्ता के अधिक भुगतान के ₹1200 की वसूली अभी तक नहीं की गई है।*	
2	*पैरा–12 (ख)*	*अनिर्णीत*	*श्री जयपाल स्वीपर से ₹6195 की वसूली अभी तक नहीं की गई है।*	

(घ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/90 से 03/93

1	पैरा–9 (क)	निर्णीत	रोकड़ बही में दर्ज ₹1,00,000 जो कि खण्ड विकास अधिकारी गोपालपुर से उधार के रूप में दर्ज हैं के सम्बन्ध में अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया।	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा अभिलेख के सत्यापन के आधार पर निर्णीत।
2	पैरा–11	निर्णीत	सीमेन्ट स्टॉक से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया।	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा अभिलेख के सत्यापन के आधार पर निर्णीत।
3	***पैरा–12 (ख) (3)***	***अनिर्णीत***	***मस्ट्रौल में अधिक भुगतान किये गये ₹1164 की वसूली अभी तक नहीं की गई है।***	
4	पैरा–13 (क)	निर्णीत	निर्माण कार्य हेतु व्यय किये गये ₹16,000 से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया।	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा अभिलेख के सत्यापन के आधार पर निर्णीत।
5	पैरा–13 (ग)	निर्णीत	निर्माण कार्य हेतु व्यय किये गये ₹9100 से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया।	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा अभिलेख के सत्यापन के आधार पर निर्णीत।
6	पैरा–14 (7)	निर्णीत	निर्माण कार्य हेतु व्यय किये गये ₹77475 से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया।	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा अभिलेख के सत्यापन के आधार पर निर्णीत।

(ङ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 9/93 से 3/96

1	***पैरा–9 (क)***	***अनिर्णीत***	***दिनाँक 31.01.1995 को वसूली हेतु शेष ₹63480 की तहबाजारी की वसूली नहीं की गई है।***	
2	***पैरा–14 (iv)***	***अनिर्णीत***	***वीडियो पार्लर मलिकों से अभी तक ₹6750 के मनोरंजन कर की वसूली नहीं की गई है।***	

(च) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/96 से 03/2001

1	पैरा–9 (1)	निर्णीत	मस्ट्रौल में ₹17542 के संभावित अधिक भुगतान बारे।	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा अभिलेख के सत्यापन के आधार पर निर्णीत।
2	पैरा–13 (क) (1 से 4)	निर्णीत	सीमेन्ट स्टॉक से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया।	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा अभिलेख के सत्यापन के आधार पर निर्णीत।

(छ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/07 से 03/12

1	*पैरा–7 (क)*	*अनिर्णीत*	*बैंक सावधि निवेशों पर कम प्राप्त ₹11772 के ब्याज की वसूली नहीं की गई है।*	
2	*पैरा–10 (क)*	*अनिर्णीत*	*बजट प्रावधान से अधिक किये गये व्यय के नियमतीकरण बारे।*	
3	*पैरा–11 (क)*	*अनिर्णीत*	*मोबाईल भता का ₹12800 का अनियमित व अधिक भुगतान।*	
4	*पैरा–11 (झ)*	*अनिर्णीत*	*निर्माण कार्य बिलों से कटौती नहीं किये गये आयकर व बिक्रीकर की ₹22131 की वसूली नहीं की गई।*	
5	*पैरा–11 (ञ)*	*अनिर्णीत*	*निर्माण कार्य बिलों में अधिक भुगतान की गई ₹74485 की वसूली बारे।*	
6	*पैरा–11 (ठ) (ii)*	*अंशतः निर्णीत*	*रैहन बसेरा का निर्माण निक्षेप कार्य के रूप में करवाये जाने हेतु हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण*	

			विभाग सरकाघाट मण्डल को जारी कुल ₹5,00,000 के अग्रिम में से ₹50,000 की राशि चैक संख्या 128417 दिनाँक 21.01.2013 तथा ₹2,00,000 राशि RTGS के माध्यम से भारतीय स्टेट बैंक खाता संख्या 65111946380 में दिनाँक 25.07.2014 को जमा किये जाने की पुष्टि कर ली गई। शेष ₹2,50,000 की वसूली अभी भी शेष है।	
7	पैरा–14 (घ)	निर्णीत	सीमेन्ट स्टॉक से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया।	कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा अभिलेख के सत्यापन के आधार पर निर्णीत।
8	*पैरा–14 (ङ)*	*अनिर्णीत*	*सीमेन्ट स्टॉक से रजिस्टर से 26 बैग दो बार खारिज करने की 10400/– की वसूली नहीं की गई है।*	

(ज) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2012 से 3/2014

1	*पैरा–8 (क)*	*अनिर्णीत*	*निर्माण कार्य बिल से संविदा में दी गई 3% की छूट को बिल में से न काटकर श्री रमेश कुमार संविदाकार को ₹63714 का अधिक भुगतान।*	
2	*पैरा–8 (ग)*	*अनिर्णीत*	*निर्माण कार्य बिल में कन्क्रीट मद के निष्पादन में श्री रमेश कुमार संविदाकार को ₹28457*	

			का अधिक भुगतान।
3	*पैरा–8 (घ)*	*अनिर्णीत*	*निर्माण कार्य बिल में वीप होल की मात्रा की कटौती न करके श्री रमेश कुमार संविदाकार को ₹4058 का अधिक भुगतान।*
4	*पैरा–9 (क)*	*अनिर्णीत*	*सिंचाई एवं जनस्वास्थ विभाग द्वारा सड़क में की गई तोड़फोड़ से हुई ₹23,08,696 की हानि की क्षतिपूर्ती हेतु कोई कार्रवाई नहीं करना।*
5	*पैरा–9 (ख)*	*अनिर्णीत*	*₹19,41,078 के विचलन के नियमतीकरण हेतु कोई कार्रवाई नहीं करना।*
6	*पैरा–9 (ग)*	*अनिर्णीत*	*संविदाकार को ₹48146 के अनियमित भुगतान के सम्बन्ध में कोई कार्रवाई नहीं करना।*
7	*पैरा–10 (क) (ख)*	*अनिर्णीत*	*निर्माण कार्य बिल में गलत गणना के कारण संजय ठाकुर संविदाकार को हुये अधिक भुगतान की गई ₹15909 की राशि की वसूली शेष।*
8	*पैरा–11*	*अनिर्णीत*	*विभागीय औचित्य दर से अधिक दर पर निर्माण कार्य निष्पादित करवाकर हुये अधिक भुगतान की गई ₹95554 की राशि की वसूली शेष।*
9	*पैरा–12*	*अनिर्णीत*	*निर्माण कार्य बिलों में*

	(क) (i से iii)		*संविदाकारों को हुये अधिक भुगतान की गई ₹185383 की राशि की वसूली शेष।*
10	*पैरा–13*	*अनिर्णीत*	*मलिन बस्ती में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को गृह निर्माण हेतु प्रदान ₹13,40,103 की राशि के सम्भावित दुरूपयोग के सम्बन्ध में कोई कार्रवाई नहीं करना।*

(झ) अंकेक्षण एवं निरीखण प्रतिवेदन अवधि 4/2014 से 3/2016

1	*पैरा–5*	*अनिर्णीत*	*बैंक सावधि निवेशों पर कम प्राप्त ₹15583 के ब्याज की वसूली शेष।*
2	*पैरा–8 (क) से (घ)*	*अनिर्णीत*	*निर्माण कार्य बिल में श्री रणजीत सिंह संविदाकारं से 579 बोरी सीमेन्ट की वसूली न करके किये गये ₹133170 अधिक भुगतान की वसूली शेष।*
3	*पैरा–9 (क) से (घ)*	*अनिर्णीत*	*निर्माण कार्य बिल में श्री संजय कुमार राणा संविदाकारं को किये गये ₹25474 के अधिक भुगतान तथा अन्य अनियमितताओं के सम्बन्ध कोई कार्रवाई शेष।*
4	*पैरा–10 (क) से (ग)*	*अनिर्णीत*	*निर्माण कार्य बिल में पाई गई अनियमितताओं के सम्बन्ध कोई कार्रवाई शेष।*
5	*पैरा–11 (क) से*	*अनिर्णीत*	*निर्माण कार्य बिल में श्री सुशील*

	(घ)		कुमार संविदाकारं को किये गये ₹17494 (14994+2500) के अधिक भुगतान तथा अन्य अनियमितताओं के सम्बन्ध कोई कार्रवाई शेष।	
6	पैरा–12 (क) से (ख)	अनिर्णीत	निर्माण कार्य बिल में पाई गई अनियमितताओं के सम्बन्ध कोई कार्रवाई शेष।	
7	पैरा–13	अनिर्णीत	निर्माण कार्य बिल में पाई गई अनियमितताओं के सम्बन्ध कोई कार्रवाई शेष।	
8	पैरा–14	अनिर्णीत	सीमेन्ट स्टॉक में पाई गई अनियमितताओं के सम्बन्ध कोई कार्रवाई शेष।	
9	पैरा–16	अनिर्णीत	मलिन बस्ती में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को गृह निर्माण हेतु प्रदान ₹17,74,431 की राशि के सम्भावित दुरूपयोग के सम्बन्ध में कोई कार्रवाई शेष।	

(ञ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/18 से 3/20

1	पैरा–12	निर्णीत	विवाह पंजीकरण शुल्क की ₹20660 की कम वसूली की गई है।	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान अँकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
2	पैरा–17 (क)	अनिर्णीत	श्री प्रवीन कुमार, कनिष्ठ अभियन्ता, नगर परिषद मण्डी को निजी वाहन से यात्रा करने पर ₹4800 के अनियमित	

			भुगतान की वसूली शेष।	
3	*पैरा–17 (ख)*	*अनिर्णीत*	*श्री प्रवीन कुमार, कनिष्ठ अभियन्ता, नगर परिषद मण्डी को प्रवास के दौरान ₹296 के अधिक भुगतान की वसूली शेष।*	

(ट) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/20 से 3/22

1	पैरा–3	निर्णीत	अँकेक्षण शुल्क।	भुगतान की पुष्टि कर ली गई।
2	पैरा–4	निर्णीत	वित्तीय स्थिति।	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान अँकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
3	पैरा–4.1	निर्णीत	बैंक निवेश तथा बचत खातों की विवरणी।	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान अँकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
4	पैरा–4.2	निर्णीत	बैंक समाधान विवरणी।	कृत अनुपालना का सत्यापन करके नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान अँकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
5	पैरा–5	निर्णीत	सावधि निवेश का विवरण।	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान अँकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
6	***पैरा–6***	*अनिर्णीत*	***बैंक द्वारा गलत ब्याज गणना के कारण सावधिक जमा की परिपक्वता पर ₹0.15 लाख का कम भुगतान करना***	
7	पैरा–7	निर्णीत	कुशल वित्तीय प्रबन्धन के अभाव में अतिरिक्त निधि को सावधि जमा योजना में निवेश करने की अपेक्षा बचत खाते में जमा रखने के कारण ब्याज आय की हानि	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान अँकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।

8	पैरा–8	निर्णीत	नगर परिषद की गत तीन वर्षों की आय व व्यय का विवरण	मात्र सूचनार्थ।
9	पैरा–9 (क)	निर्णीत	अनुदानों की वित्तीय स्थिति	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान अँकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
10	पैरा–9 (ख)	निर्णीत	अनुदानों की ₹699.70 लाख उपयोग हेतु शेष	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान अँकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
11	पैरा–9 (ग)	निर्णीत	दिनांक 1.4.2020 से पूर्व प्राप्त ₹381.24 लाख के अनुदानों का दो वर्ष से अधिक अवधि के उपरान्त भी उपयोग करने में विफलता	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान अँकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
12	पैरा–9 (घ)	निर्णीत	वर्ष 2020–21 के दौरान प्राप्त ₹176.29 लाख के अनुदानों का दो वर्ष उपरान्त भी उपयोग करने में विफलता	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान अँकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
13	पैरा–10	निर्णीत	पैन्शन एवं ग्रेच्युटी की रोकड़ बही का अनुरक्षण न करना	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
14	पैरा–11	निर्णीत	नगर परिषद् कर्मचारियों के सन्दर्भ में पैन्शन व ग्रैच्युटि, सामान्य भविष्य निधि तथा अंशदायी पैन्शन निधि की रोकड़ बही व लैजर खातों का अनुरक्षण न करना	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
15	पैरा–12	निर्णीत	दिनांक 31.03.2022 तक नगर परिषद् द्वारा निक्षेप कार्य हेतु जारी ₹303.57 लाख के अस्थाई अग्रिमों का समायोजन हेतु शेष	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान अँकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।

			पाया जान	
16	पैरा–13 (क)	निर्णीत	गृहकर बकाया ₹64.11 लाख वसूली हेतु शेष	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान अँकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
17	पैरा–13 (ख)	निर्णीत	24 वर्षों से लम्बित ₹24.50 लाख के गृहकर की वसूली हेतु नियमानुसार कोई ठोस कार्रवाई न करना	वर्तमान अँकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
18	पैरा–13 (ग)	निर्णीत	गृहकर मांग व संग्रह रजिस्टर में देय गृहकर बकाया ₹0.44 लाख से कम दर्शाना	स्वतः निर्णीत।
19	***पैरा–13 (घ)***	***निर्णीत***	***नये भवनों के गृहकर का निर्धारण न करने के कारण परिषद को राजस्व हानि***	
20	पैरा–13 (ङ)	निर्णीत	नगर परिषद क्षेत्र के अन्दर स्थित होटलों तथा गैस्ट हाउसों से नियमानुसार गृहकर की वसूली न करना	वर्तमान अँकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
21	पैरा–14 (क)	निर्णीत	दुकानों के किराये की बकाया ₹29.30 लाख वसूली हेतु शेष	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान अँकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
22	पैरा–14 (ख)	निर्णीत	25.5 वर्षों से लम्बित ₹19.49 लाख के दुकानों के किराये की वसूली हेतु ठोस कार्रवाई न करना	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान अँकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
23	पैरा–14 (ग)	निर्णीत	दुकान किराये के साथ वसूल किये गये वस्तु व सेवा कर की ₹2.33 लाख की राषि को	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान अँकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।

			सम्बधित विभाग के पास जमा न करवाना	
24	पैरा–15	निर्णीत	सफाई शुल्क की वसूली से सम्बन्धित अभिलेख का अनुरक्षण न करना	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
25	पैरा–16	निर्णीत	मोबाईल टावर नवीनीकरण शुल्क ₹4.14 लाख वसूली हेतु शेष	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान अँकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
26	पैरा–17	निर्णीत	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹0.05 लाख की कम वसूली न करना	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान अँकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
27	*पैरा–18.1*	*अनिर्णीत*	*श्री सतपाल सिंह, सफाईकर्मी के गलत वेतन निर्धारण के कारण वेतन व भत्तों का ₹0.54 लाख का अधिक भुगतान*	
28	*पैरा–18.2*	*अनिर्णीत*	*श्री पवन कुमार, सेवादार के गलत वेतन निर्धारण के कारण वेतन व भत्तों का ₹0.54 लाख का अधिक भुगतान*	
29	*पैरा–18.3*	*अनिर्णीत*	*श्रीमति प्रेमलता, लिपिक के गलत वेतन निर्धारण के कारण दिनाँक 09.12.2018 से 31.12. 2021 तक वेतन व भत्तों का ₹0. 36 लाख का अधिक भुगतान*	
30	*पैरा–18.4*	*अनिर्णीत*	*श्री सोनू सफाई कर्मचारी के गलत वेतन निर्धारण के कारण दिनाँक 01.12.2018 से 31.12. 2021 तक वेतन व भत्तों का ₹0.*	

			26 लाख का अधिक भुगतान	
31	*पैरा–18.5*	*अनिर्णीत*	*श्री रसील चन्द, सफाईकर्मी को ''सुनिष्चित आजीविका प्रगति योजना'' में 9 वर्ष के सेवाकाल पर अनियमित लाभ जारी करके वेतन व भत्तों का ₹1.50 लाख का अधिक भुगतान*	
32	*पैरा–18.6*	*अनिर्णीत*	*श्रीमती अरूणा शर्मा, सामुदायिक समन्यवयक के 01.01.2020 से अनियमित वेतन निर्धारण के कारण ₹1.05 लाख के अधिक भुगतान*	
33	*पैरा–18.7*	*अनिर्णीत*	*श्रीमती बर्फी देवी, सफाईकर्मी के वेतन निर्धारण में अनियमितताएँ*	
34	पैरा–19	निर्णीत	निर्माण कार्य बिलों से काटी गई रॉयल्टी की ₹1.20 लाख की राशि को खनन विभाग के पास जमा न करवाना	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान अँकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
35	पैरा–20	निर्णीत	संविदाकारों से निर्माण कार्य बिलों से काटी गई श्रम उपकर (Labour Cess) की ₹1.13 लाख की राशि को श्रम अधिकारी मण्डी के पास जमा न करवाना	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान अँकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
36	*पैरा–21*	*अनिर्णीत*	*निर्माण कार्यों के निष्पादन में नियमों में प्रावधित मात्रा से अधिक विचलन को सक्षम अधिकारी से स्वीकृत न करवाकर किया गया अनियमित भुगतान*	

37	*पैरा–22*	*अनिर्णीत*	*नगर परिषद् के बिजली बिलों के भुगतान में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् द्वारा माँग की गई ''गत बकाया राषि''* ***(Previous Arrears)*** *के लिये ₹0.82 लाख का भुगतान करना*	
38	*पैरा–23*	*अनिर्णीत*	*नगर परिषद् के बिजली बिलों में प्रत्येक माह हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् द्वारा माँग की गई लाईन मुरम्मत शुल्क* ***(Line Maintenance Charges)*** *राशि के लिये ₹0.26 लाख का भुगतान करना*	
39	*पैरा–24*	*अनिर्णीत*	*प्रवास में व्यक्तिगत निजि कार का अनाधिकृत प्रयोग करने के कारण ₹0.09 लाख का अनियमित भुगतान*	
40	पैरा–25	निर्णीत	स्टॉक का भौतिक सत्यापन न करना	वर्तमान अँकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।

अनिर्णीत अनुच्छेदों / उप–अनुच्छेदों का सार

अवधि 03/2022 तक अनिर्णीत पैरे/उप पैरे	86
4/22 से 3/23 के दौरान लगाए गए पैर (+)	17
कुल	101
अंकेक्षण के दौरान निर्णीत पैरे (–)	37
शेष	64